झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची – 834001

ऑनलाईन **(Online)** आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–20.07.2023

विज्ञापन संख्या–20/2023

चिकित्सा पदाधिकारी (मूलकोटि) के पदों पर बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा पदाधिकारी (मूलकोटि) के पदों पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु प्रेषित पत्रांक–538(3) दिनांक–17.04.2023 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

क्र0 सं0	पद का नाम	कुल पद	कोटिवार रिक्तियाँ		क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण						
								दिव्यांग			
↓	↓	↓	अनुसूचित जनजाति	अ0पि0व0 (अनु0–I)	आदिम जनजाति	महिला	खेल कूद	दृष्टि निःशक्तता (क)	श्रवण निःशक्तता (ख)	चलन निःशक्तता (ग)	(घ) स्वलीनता **(Autism)**, बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या (ङ) बहु निःशक्तता **(Multiple disabilities)** जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	चिकित्सा पदाधिकारी	**26**	25	01	01	01	01	00	00	01	00

नोटः– (i). कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक–5555 दिनांक–28.06.2016 के आलोक में आदिम जनजाति के लिए संसूचित रिक्ति अनुसूचित जनजाति के संसूचित रिक्ति में से विनियमित होगा। यह आरक्षण क्षैतिज रूप से उपलब्ध रहेगा।

(ii) कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. **वेतनमान** – **PB-II, रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 – 5400 (level-9)**
3. **पद** – स्थायी
4. **परीक्ष्यमान अवधि** – 2 (दो) वर्ष
5. **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हत्ता एवं अनुभवः–**

पद	शैक्षणिक अर्हत्ता	अनुभव
चिकित्सा पदाधिकारी	भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम0 बी0 बी0 एस0 की उपाधि प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा आवेदक को चिकित्सक के रूप में निबंधन संख्या प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।	मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष की इन्टर्नशिप।
Medical Officer	M.B.B.S. from Medical College recognized by Medical Council of India and State Govt. And should be registered with MCI or State Medical Council.	At least One Year Internship from recognized Medical College Hospital.

6. उम्र सीमा

(a) न्यूनतम उम्र सीमा :– 23 वर्ष।

(b) **अधिकतम उम्र सीमा** :– संकल्प संख्या–29 दिनांक–04.01.2021 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा	38 वर्ष	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष	45 वर्ष

नोटः–उम्र की गणना 01.08.2023 के आधार पर की जायेगी।

7. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया** :– अभ्यर्थियों का चयन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संसूचित रिक्तियों के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग वांछित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा **एम0 बी0 बी0 एस0** के लिए निर्धारित स्तर का लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करते हुए नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा।

लिखित एवं मौखिक परीक्षा का स्वरूप :–

(a) **लिखित परीक्षा** :– यह Multiple Choice Objective Type होगी, जिसमें 100–100 अंको के निम्न 4 (चार) पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र के लिए 2 (दो) घण्टे का समय निर्धारित रहेगा।

(i)	प्रथम पत्र	–	औषधि (सामान्य)	–	**100 अंक**
(ii)	द्वितीय पत्र	–	(क) शिशु रोग	–	40 अंक
			(ख) शिशु कल्याण	–	60 अंक
			एवं परिवार नियोजन सहित निवारक औषधि एवं सामुदायिक स्वास्थ्य।		**100 अंक**
(iii)	तृतीय पत्र	–	(क) शल्यचिकित्सा (सामान्य)	–	60 अंक
			(ख) ऑर्थोपेडिक सहित	–	40 अंक
			विकलांग विज्ञान।		**100 अंक**
(iv)	चतुर्थ पत्र	–	(क) आँख	–	25 अंक
			(ख) कान, नाक एवं गला	–	25 अंक
			(ग) प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान	–	50 अंक
					100 अंक

(b) मौखिक परीक्षा – – **40 अंक**

(c) पाठ्यक्रम – संबंधित विषयों का पाठ्यक्रम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।

(d) <u>न्यूनतम अहर्त्तांक</u> :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक–13026 दिनांक–27.11.2012, ज्ञापांक–7358 दिनांक–19.09.2019 एवं ज्ञापांक–3928 दिनांक–11.08.2020 के अनुरूप लिखित एवं मौखिक परीक्षा के लिए कोटिवार न्यूनतम अर्हत्तांक निम्नवत् है :–

सामान्य वर्ग	40 %
पिछड़ा वर्ग	36.5%
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर–I)	34 %
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 %
आदिम जनजाति	30 %
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40%

<u>नोट</u> :–विज्ञापित रिक्ति के पाँचगुणा से कम या पाँचगुणा के अनुपात में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में झारखण्ड लोक सेवा आयोग साक्षात्कार समिति द्वारा सीधे साक्षात्कार के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों के चयन कर अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जायेगी।

8. <u>आरक्षण का लाभ</u> :– आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

(क) **आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश** :–

i. आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

ii. शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–235, दिनांक–10.10.2019 द्वारा अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(ग) जाति प्रमाण पत्र आवेदक/आवेदिका के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।

(घ) अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किये गये प्रविष्टि के अनुरूप आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ङ) **जाति प्रमाण–पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है**:–

(a) **अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति**:– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–2669, दिनांक–10.05.2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र–5/प्रपत्र-V (संशोधित/Amended),पत्रांक–1361,दिनांक–03.03.2022 प्रपत्र–4/प्रपत्र-IV (संशोधित/Amended) एवं पत्रांक–1754, दिनांक 25.02.2019 द्वारा विहित प्रपत्र–IV/प्रपत्र–4 में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त /अपर समाहर्त्ता/ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/ अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोटः–केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(b) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II** :–झारखण्ड राज्य के **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II** कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–XI (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 के अधीन प्रपत्र–XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोटः–

(i) **केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**

(ii) **राज्य सरकार के सेवाओं /पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form- XI Required अंकित हो तो Form- XI (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।**

(c) **आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए**:– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या–1433 दिनांक–15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–I) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध एवं अद्यतन "आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र" के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

(च) **निःशक्तता का लाभ :–**

(i) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। एक बार नियत प्रविष्टि के पश्चात् निःशक्त श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन के अंतिम तिथि के पश्चात् आयोग कार्यालय में प्रेषित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(d) निःशक्तता का लाभ कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–2249, दिनांक 03.04.2018 के आलोक में सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य होगी। संबंधित संकल्प एवं विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

9. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–332, दिनांक 24.01.2022 के आलोक में खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण झारखण्ड राज्य के निवासियों के लिए ही अनुमान्य हैं। खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा श्रेणी–II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

10. (क) <u>कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–</u>

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(i) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(ii) Impersonating, or
(iii) Procuring impersonation by any person, or
(iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
(v) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(vii) Using unfair means during the test, or
(viii) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
(ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(x) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(xi) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
(xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
   (a) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
   (b) to be debarred either permanently or for a specified period:-
   (c) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ख) <u>कदाचार के लिए कार्यवाही :–</u>

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ग) <u>पूर्व के कदाचार का प्रभावः–</u>

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. <u>परीक्षा शुल्कः–</u>

(i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **<u>www.jpsc.gov.in</u>** पर उपलब्ध है।

(ii) अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(iii) **<u>परीक्षा शुल्क में छूट</u>**– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

(v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

12. <u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश</u> :–

(a) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(b) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(c) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(d) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(e) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक–पत्र में अंकित है।

(f) जन्म तिथि–आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।

(g) ऑनलाईन आवेदन में अंकित **e-mail Id, Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id** एवं **Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number, e-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number, e-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।

(h) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(i) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

(j) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **"Download Filled Application Section"** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे।

(k) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हत्ता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

(l) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

(m) **Online Application** में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी **Online Application** भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

(n) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.–+919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(o) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है:– 1. +919431301636 2. +919431301419

(p) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline
No.– 9431301419 पर संपर्क किया जा सकता है।

(q) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे अथवा तत्समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक Applied for NOC संबंधी सूचना ऑनलाईन आवेदन में प्रतिष्टि करेंगे तथा समर्पित आवेदन की मूल प्रति Document Verification के समय में प्रस्तुत करेंगे।

(r) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(s) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(t) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति **कंडिका–12(u)** के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित प्रति निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट एवं हाथों–हाथ आयोग कार्यालय के पते **"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001"** पर **निर्धारित तिथि–10.08.2023** तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy लिफाफे के उपर **"विज्ञापन संख्या–20/2023"** तथा **"पद का नाम–चिकित्सा पदाधिकारी (बैकलॉग)"** मोटे **(Bold)** अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

(u) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

- (i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
- (ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
- (iii) भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि एवं अंकपत्र (उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण सभी सेमेस्टर सहित),
- (iv) चिकित्सक के रूप में निबंधन संख्या प्रमाण पत्र।
- (v) मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष की इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र।
- (vi) जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- (vii) स्थानीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- (viii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- (ix) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

13. अंतिम तिथि :–

(a) आवेदक **Online Application System** के माध्यम से **दिनांक–21.06.2023 से दिनांक–20.07.2023 संध्या 5:00 बजे** तक ही **Online** आवेदन कर सकते हैं।

(b) **दिनांक–20.07.2023** के बाद **दिनांक–24.07.2023** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।